

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक , १५८ करेडा जिला-भीलवाडा
 पीठारसीन अधिकारी :- बन्शी धर योगी आर०ए०एस०

कदमा संख्या :- 140/2024

1. इन्सिड १० विजा सिट इन्सिड १० गोमा नाचाडिया - १५८ करेडा
 प्रार्थी

1. बनाम
 वेन सिट १० इन्सिड १० गोमा नाचाडिया - १५८ करेडा
 विपक्षीगण.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०भू०रा०अधि० 1956

:: आदेश ::

दिनांक 18/6/24

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०भू०रा०अधि० 1956 के तहत प्रस्तुत
 निवेदन किया कि ग्राम गोमा नाचाडिया पटवार हल्का थाणा तहसील करेडा में उसके खाते/संयुक्त
 खातों की खाता संख्या २३० आराजी नम्बर ५५४५/२४३,

कुलकिता 1 रकबा ०-५३५० हैक्टेयर भूमि
 स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन
 सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खातों की भूमि की
 पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक २५/५/२४ को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को
 अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी
 कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी
 होने का अर्देशा नही है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इनत तथ्यों का देखते
 हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेशः

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम
 गोमा नाचाडिया पटवार हल्का थाणा तहसील करेडा में स्थित खाता संख्या
 २३० आराजी नम्बर ५५४५/२४३,

कुलकिता 1 रकबा ०-५३५० हैक्टेयर भूमि
 के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक
 को ५५०/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर
 फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व
 कब्जे की यथास्थिति को बनायें रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल
 खड़ी होने पर पत्थरगढी नही की जावे।

संलग्न:- प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी


 उपखण्ड अधिकारी
 करेडा जिला भीलवाडा
 १५८ करेडा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार करेडा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार
 पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।


 उपखण्ड अधिकारी
 करेडा जिला भीलवाडा
 १५८ करेडा